न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 375/2024 निर्णय दिनांकः– 08-07-25
(जीसीएमएस संख्या 2024/545)

1. श्योपतराम पुत्र गोपीराम जाति भाट निवासी सुख चैनपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अपील विरूद्ध आज्ञा दिनांक 31–08–1996
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री नरेन्द्र गौड, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 31–08–1996 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व में आवंटित भूमि का विशेष आवंटन किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में चक 4 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 156/24 तादादी 25 बीघा भूमि के बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा तत्पश्चात् अपीलांट को वांछित भूमि आवंटन कर दी जिसकी 35 प्रतिशत राशि भी अपीलांट द्वारा जमा करवा दी गई। अपीलांट के पक्ष में आवंटन आदेश भी जारी कर दिया गया। मगर जब अपीलांट अपनी आवंटित भूमि का कब्जा प्राप्त करने पहुंचा तब पटवारी रिपोर्ट में आंवटित मुरब्बा पूर्व में ही किसी अन्य व्यक्ति को होने के कारण आवंटित भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हो सका।

इस संबंध में अपीलांट को विशेष आवंटन में भूमि आवंटन करने से पूर्व इस तथ्य की जांच की जानी चाहिए थी कि आवंटित भूमि शुद्ध रूप से अराजीराज है अथवा नहीं। अपीलांट को जो भूमि आवंटन की गई है उक्त भूमि पूर्व में ही चुनाराम पुत्र किस्तुराराम जाति सुथार को आवंटन की हुई थी। ऐसे में वादगत भूमि का पुनः आवंटन अपीलांट को हो गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर पूर्व में आवंटित भूमि का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर अपीलांट को समान श्रेणी की अन्यत्र भूमि आवंटन किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश से अपीलांट को पूर्व में ही आंवटित भूमि का आवंटन किया गया है। जिसे अपीलांट अपने पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त करवाना चाहता जिसमें मिंयाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपीलांट द्वारा पूर्व में भी आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें अन्यत्र भूमि का आवंटन किये जाने की मांग की गई थी। मगर अपीलाधीन आदेश से अपीलांट के पक्ष में किया गया आवंटन यथावत रहने से आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलीय न्यायालय से उक्त आवंटन आदेश को निरस्त करवाने हेतु निर्देशित किये जाने पर अपीलांट द्वारा बिना देरी के अपील प्रस्तुत कर दी गई। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 31—08—1996 के विरूद्ध अपील दिनांक 18—10—24 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट को आवंटित भूमि का कब्जा नहीं मिलने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी शुरू से ही रही है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 31—08—1996 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्ध अपील 18—10—2024 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि विलम्ब के मामलों में न्यायालय का दृष्टिकोण समग्र रूप से न्याय का उद्वेश्य हासिल करने का होना चाहिए। विलम्ब शमन निम्न में से एक या से एक से अधिक कारणों पर आधारित होना चाहिए। मियांद कानून लोक नीति का पूरक है। इसका उद्वेश्य किसी पक्षकार के अधिकारों का हनन करना नहीं होना चाहिए। न्याय प्राप्ति हेतु अंतिम प्रयास तक कानूनी उपचार जीवित रहने चाहिए। अपीलांट स्वयं अपने पक्ष में हुए आवंटन को चुनौती प्रदान करते हुए आवंटन निरस्त करने की इस्तदुआ कर रहा है। अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत एवं प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट ने आवंटन अधिकारी के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसील पूगल में चक 4 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 156/24 तादादी 25 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई थी। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट के विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आवेदित भूमि का आवंटन कर दिया गया। जिसकी पालना में अपीलांट द्वारा चालान संख्या 537 दिनांक 12–02–1997 से आवंटित भूमि की 35 प्रतिशत राशि भी खजानाराज में जमा करवा दी गई। आवंटित भूमि की 35 प्रतिशत राशि जमा करवाये जाने के पश्चात अपीलांट के पक्ष में आंवटित भूमि का आवंटन आदेश जारी कर दिया गया। उक्त आवंटन आदेश की पालना में जब अपीलांट द्वारा अपनी आवंटित भूमि का कब्जा प्राप्त करना चाहा तो आवंटित भूमि पूर्व में ही किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित होने के आधार पर कब्जा प्राप्त नहीं हो सका। अपीलांट आज भी भूमिहीन काश्तकार है जिसका एकमात्र व्यवसाय खेती है। अपीलांट को पूर्व में ही आवंटित भूमि का आवंटन किये जाने में अपीलांट की किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है।

इस संबंध में हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों से साबित है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को पूर्व में किसी अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। अपील के साथ अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत पूर्ववर्ती आवंटन की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादगत भूमि का आवंटन दिनांक चुनाराम पुत्र किस्तुराराम जाति सुथार को दिनांक 02–02–1994 को ही किया जा चुका है। उक्त आवंटन पर चुनाराम द्वारा आंवटित भूमि की 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने के पश्चात सम्पूर्ण राशि खजानाराज में जमा करवाने के बाद दिनांक 27–01–2001 को चुनाराम के पक्ष में वादगत भूमि की खातेदारी सनद जारी कर दी गई। अपीलांट को पूर्व में आवंटित भूमि का आवंटन किये जाने में अपीलांट का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होने के कारण अपीलांट अन्यत्र भूमि पाने का अधिकारी है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 31–08–1996 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की आज दिनांक की पात्रता की जॉच करते हुए, पात्रता सही पाये जाने पर अपीलांट के आवेदन पत्र पर पुनः नये सिरे से नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

8. निर्णय आज दिनांक 08-07-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर